

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना संख्या 06/2019-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांक 04 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि (अ).- वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) की धारा 122 के उपवाक्य (ग) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद् द्वारा उन अधिनियमों को विनिर्दिष्ट करती है जिनके संबंध में सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019 लागू होगी, यथा:-

- (i) सिने-वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट, 1981 (1981 का 30);
- (ii) उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65);
- (iii) चीनी निर्यात संवर्धन अधिनियम, 1958 (1958 का 30);
- (iv) चीनी (उत्पादन विनियमन) अधिनियम, 1961 (1961 का 55);
- (v) चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29);
- (vi) वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14);
- (vii) वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का 18);
- (viii) वित्त अधिनियम, 2010 (2010 का 14);

[फा.सं. 267/78/2019-सीएक्स-8(पीटी.-III)]

(माजिद खान)
उपायुक्त सीएक्स-8